तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.80/2023	नम्बर व तारिख अहकाम इस हुक्म क.तामिल में जारी हुए
12.5.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी रुपेश पुरोहित पुत्र श्री चुन्नीलाल पुरोहित, जाति– पुरोहित, निवासी– आमथला, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जयदीप किराणा एण्ड टी स्टॉल, तलहटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 23.3.2022 को फर्म जयदीप किराणा एण्ड टी स्टॉल, तलहटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी रुपेश पुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (संगाथ ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1758 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./893/Act/2022/1007 दिनांक 20.4.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी जयन्तिलाल ने इस न्यायालय में दिनांक 10.5.2023 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी रुपेश पुरोहित द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्राबली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 23.3.2022 को फर्म जयदीप किराणा एण्ड टी स्टॉल, तलहटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता रुपेश पुरोहित पुत्र श्री चुन्नीलाल पुरोहित, जाति– पुरोहित, निवासी– आमथला, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही से फर्म जयदीप किराणा एण्ड टी स्टॉल में आलमारी की रेक में रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (संग्राथ ब्राण्ड) के 26 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 एल. एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (संग्राथ ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना [illegible] क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य [illegible] घी (संग्राथ ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-17[illegible] जोधपुर ....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:26 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.80/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./893/Act/2022/1007 दिनांक 20.4.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रुपेश पुरोहित ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (संगाथ ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (संगाथ ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रुपेश पुरोहित पुत्र श्री चुन्नीलाल पुरोहित, जाति– पुरोहित, निवासी– आमथला, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जयदीप किराणा एण्ड टी स्टॉल, तलहटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी रुपेश पुरोहित को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13.6.2023 को पेश हो। (के.आर. खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:26 IST
Reason: SelfAttested